# हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

**पंचम् सत्र**

**<u>समाचार भाग-1</u>**

**संख्याः 40**

**शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024/4 फाल्गुन, 1945(शक्)**

## सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

**समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)**

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।**

### व्यवस्था का प्रश्न

**माननीय अध्यक्ष महोदय** ने ज्यों ही प्रश्नकाल आरंभ करने की घोषणा की माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से अख़बार में छपी ख़बर का हवाला देते हुए कि माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा मण्डी में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि से निर्मित सड़कों का मुख्य मंत्री कार्यालय की स्वीकृति के बिना उद्घाटन करने हेतु लोक निर्माण विभाग के थलोट मण्डल के अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने बारे मामला सदन के ध्यान में लाया।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए कहा कि पहले ऐसी प्रक्रिया थी लेकिन अब भारत सरकार ने कहा है कि मुख्य मंत्री कार्यालय तथा लोक निर्माण मंत्री हर कार्य के लिए स्वतंत्र है और स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है।

इस पर विपक्ष के सदस्यगण मामले पर और स्पष्टीकरण लेने की मांग करने लगे परन्तु अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है इसलिए इसे निर्विघ्न होने दिया जाए।

**(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)**

**माननीय अध्यक्ष** द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु बार-बार आग्रह किया गया परन्तु विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। अतः शोरगुल के बीच ही माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल आरंभ करने की घोषणा कर दी।

## 1. प्रश्नोत्तर

### (I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1203(स्थगित) तथा 1492 तथा 1493 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 1494 पर श्री केवल पठानिया (प्राधिकृत) द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 1495 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1496 से 1529 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

### (II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 509(स्थगित) तथा 643 से 658 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

**माननीय श्री लोकेन्दर कुमार, सदस्य** ने विषय उठाया कि बरसात के समय आनी में 8-9 घरों को नुकसान हुआ था तथा वहां पर एन.एच. में आये मलबे को नदी के किनारे किसी ने फेंक दिया था और वन विभाग ने उसके लिए उन पीड़ित परिवारों को ही दो-दो लाख रुपये जुर्माना भरने के नोटिस दे दिए हैं।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि उन्होंने उस क्षेत्र का स्वयं दौरा किया था इसलिए जो माननीय सदस्य ने प्वाइंट्स बताए हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

**श्रीमती रीना कश्यप, सदस्या** ने विषय उठाया कि नगर निगम नाहन की चेयरमैन द्वारा एक पार्किंग का उद्घाटन किया गया परंतु उद्घाटन के 20 मिनट के अंदर ही वह उद्घाटन पट्टिका उखाड़ दी गई।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि इस बारे में पहले ही आदेश दे दिए गए हैं कि जहां-जहां पट्टिकाओं को तोड़ा गया है उन्हें पुनः लगा दिया जाए।

**माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी** ने हिमुडा द्वारा निर्मित कौशल्या बांध जो नेशनल हाइवे के मलबे की वजह से गिर गया है, की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया।

**माननीय राजस्व मंत्री** ने अध्यक्ष महोदय को प्रश्नकाल के तुरन्त बाद शून्य काल शुरू करने का सुझाव दिया ताकि माननीय सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों को उस समय में उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यगण व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए अक्सर प्रश्नकाल के समय में कटौती कर देते हैं।

**इस पर अध्यक्ष महोदय** ने अवगत करवाया कि शून्य काल का मामला अभी विचाराधीन है।

## 2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं), विशेष कार्यकारी अधिकारी (अर्थोपाय), ग्रुप-ए (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः कार्मिक (स.प्र.से.-I)-ए (3)-1/2023, दिनांक 09.11.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.11.2023 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः वित्त-जी-ए (3)1/2018-पार्ट-I, दिनांक 14.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2024 को प्रकाशित; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन जोकि अधिसूचना संख्याः कार्मिक (एपी-बी) ए(1)-1/2023, दिनांक 30.09.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.10.2023 को प्रकाशित।

(2) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, सहायक निदेशक (अभिलेखागार), ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याःएल0सी0डी0-बी0(1)-2/2020, दिनांक 08.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.02.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, वरिष्ठ सहायक (प्रगति), ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः आर डी-ए (3)-2/2023, जोकि दिनांक 15.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.02.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

## 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री सुधीर शर्मा, सभापति, प्राक्कलन समिति** (वर्ष 2023-24) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का द्वितीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत ट्रामा केयर सेंटर की संवीक्षा पर आधारित तथा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की संवीक्षा पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री सतपाल सिंह सत्ती, सदस्य जन प्रशासन समिति** (वर्ष 2023-24) ने समिति का तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 4 के अन्तर्गत पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों पर आधारित 17वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21) पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

## 4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

**श्री संजय रत्न, माननीय सदस्य** ने कार्य-सलाहकार समिति का पंचम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा इसे अंगीकार करने हेतु प्रस्ताव भी किया।

**प्रस्ताव स्वीकार हुआ।**

## 5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

(i) सर्वप्रथम **श्री चैतन्य शर्मा, सदस्य** ने पिछले सत्र में दिनांक 21.12.2023 को प्रस्तुत संकल्प- **"This House resolves that the State Govt. should formulate a policy to appreciate the importance of Hosting and Promote Foreign Universities to set up partnerships and research labs with existing Institutions."** पर **माननीय शिक्षा मंत्री** ने उत्तर दिया।

**श्री चैतन्य शर्मा, सदस्य** ने स्पष्टीकरण मांगा।

**माननीय शिक्षा मंत्री** ने स्पष्टीकरण दिया।

(**संकल्प वापिस हुआ।**)

### Special mention by the Speaker

"I would like to inform the Hon'ble House that today in the Visitor's Gallery students from Bishop Cotton School are present and some students from ITI Chaura Maidan are also here to see the proceedings. They are very proud that 6 MLAs here are old students from Bishop Cotton School and Hon'ble Member Shri Bhawani Singh is also one of the old Cottonian and he will be heard by his old School students."

**(ii)** **श्री भवानी सिंह पठानिया, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

> **"This House resolves to formulate policy to improve infrastructure for mental health patients in the State."**

**(12.30 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)**

**निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -**

1. श्री डॉ0 हंस राज
2. श्री होशयार सिंह

**(01.10 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

3. डॉ0 जनक राज

**(01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)**

**(भोजनावकाश के उपरान्त 2.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)**

**संकल्प पर आगे चर्चा जारी -**

4. श्री विनोद सुल्तानपुरी

**(02.30 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

5. श्री विपिन सिंह परमार

**(03.10 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

**माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने चर्चा का उत्तर दिया। ,

**(संकल्प वापिस हुआ।)**

**श्री जीत राम कटवाल तथा श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, सदस्यों** की अनुपस्थिति के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ।

**03.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, 26 फरवरी, 2024 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**